कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 24.04.2026

हत्या व हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में वांछित शातिर बदमाश से थाना चन्दौली पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दोनों पैरों में लगी गोली, कब्जे से अवैध असलहा व कारतूस बरामद।

हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र भारती को शरण देने वाले रिश्तेदारों पर भी दर्ज होगा अभियोग।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में जनपद में तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.04.2026 को थाना अलीनगर क्षेत्र में कव्वाली से लौट रहे परिवार पर तमंचे से फायर करने वाला एवं मारपीट करने वाला हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र भारती को दिनांक 23.04.2026 की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी,घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना-

दिनांक 21.04.2026 को थाना अलीनगर में वादी फरमान पुत्र स्व0 मजीद निवासी ग्राम रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ने सूचना दी कि जब वो कव्वाली के कार्यक्रम के थे तो वहां कुछ लड़कों द्वारा उनके परिवार की महिलाओं पर छींटाकशी की थी। जिसका विरोध करने पर वहां से लौटते समय हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र भारती के साथ अन्य लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, मार पीट की एवं तमंचे से फायर किया।

उक्त सूचना के आधार पर अभियोग संख्या 245/2026 हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं में 07 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कर वांछित अभियुक्तों की तलाश के लिए SOG और थाना पुलिस को लगाया गया था।

गिरफ्तारी-

आज दिनांक 23.04.2026 को मुख्य अभियुक्त धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र भारती पुत्र मुन्ना उर्फ ओमप्रकाश निवासी ग्राम रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के ग्राम दीनदासपुर थाना सकलडीहाँ जनपद चन्दौली स्थान पर होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इस पर वहां मौजूद अभियुक्त के रिश्तेदारों द्वारा जिन्होंने इस वांछित अभियुक्त को शरण दी थी,पुलिस बल का विरोध किया गया। इन रिश्तेदारों के विरुद्ध अपराधी को शरण देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का अभियोग दर्ज किया जा रहा है।
पुलिस बल द्वारा यहां से अभियुक्त धर्मेंद्र भारती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अवैध शस्त्र बरामदगी के दौरान अपराधी धर्मेंद्र भारती द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लगने से ये घायल हो गया। उक्त सम्बन्ध में पुलिस टीम पर फायरिंग के लिए एक और हत्या के प्रयास का अभियोग दर्ज किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

धर्मेंद्र भारती द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन उसने अपने साथियों के साथ वादी पक्ष को सबक सिखाने के लिए उन पर फायरिंग की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

धर्मेन्द्र धर्मेन्द्र भारती पुत्र मुन्ना उर्फ ओमप्रकाश निवासी ग्राम रेवसा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

धर्मेंद्र भारती पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर आदि धाराओं में 40 अभियोग दर्ज़ हैं। पूर्व में कुछ अभियोग में ये सजा भी काट चुका है।